प्रेस नोट
दिनांक 28.05.2025

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पि चमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–99/2025 धारा 103(1),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित हत्याभियुक्त अन्नू सिंह उर्फ राजेश कुमार सिंह पुत्र अम्बिका सिंह उर्फ अमरिका सिंह नि0 ग्राम जेठपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को आर्यनगर नहर पुलिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.05.2025 को वादी तेज बहादुर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह नि0 पश्चिम पुरवा मौजा जेठपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी जिसमें बताया गया कि दिनांक 19.05.2025 को सुबह लगभग 4:15 बजे, मेरा पुत्र बब्लू उर्फ श्याम सिंह (उम्र 39 वर्ष) अपने मुर्गी फार्म हाउस पर सो रहा था। तभी गांव के कमल बहादुर सिंह, भारत सिंह, अन्नू सिंह उर्फ राजेश सिंह (पुत्रगण अम्बिका सिंह) एवं राहुल सिंह (पुत्र अन्नू सिंह) एकराय होकर वहां आए और पुरानी रंजिश के चलते उसे गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा उसके हाथ–पैर और नाक दबाकर जबरन मुंह में जहर पिला दिया और फरार हो गए। मेरा बेटा किसी तरह घर आया और घटना की जानकारी दी। जिसे तत्काल जिला अस्पताल गोण्डा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 28.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अन्नू सिंह उर्फ राजेश कुमार सिंह को आर्यनगर नहर पुलिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अन्नू सिंह उर्फ राजेश कुमार सिंह पुत्र अम्बिका सिंह उर्फ अमरिका सिंह नि0 ग्राम जेठपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–99/2025 धारा 103(1),352,351(3) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 अरविन्द कुमार सिंह।
02. उ0नि0 अमरजीत सोनकर।
03. का0 महेन्द्र पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.05.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उम्मेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–158/2025 धारा 103(2) बीएनएस से सम्बन्धित हत्याभियुक्त रजवन्त सिंह पुत्र शिवहरक सिंह नि0 तुलसीमांझा पट्टी बलराज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को किशुनदासपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.05.2025 की रात्रि लगभग 10:00 बजे, थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम तुलसीपुर माझा निवासी अंशुमान पुत्र रवि प्रकाश सिंह (उम्र 17 वर्ष) को पुरानी रंजिश के चलते उसी गांव के गोलू उर्फ भोलू पुत्र रंजीत सिंह, जतिन सिंह पुत्र राजवंत सिंह, विशेष सिंह पुत्र अखिलेश सिंह, राजवंत सिंह पुत्र शिव हरक सिंह, अखिलेश सिंह पुत्र जगतपाल सिंह द्वारा ग्राम महरमपुर के पास घेरकर गोली मार दी गयी थी। गंभीर रूप से घायल अंशुमान को परिजनों द्वारा सी0एच0सी0 नवाबगंज ले जाया गया, जहाँ से उसे ईलाज हेतु मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर (अयोध्या) रेफर किया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलन हेतु स्वाट टीम, सर्विलांस, डॉग स्क्वायड एवं फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया।
मृतक का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 158/25, धारा 103(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा पूर्व में 03 बालअपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था। आज दिनांक 28.05.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त रजवन्त सिंह पुत्र शिवहरक सिंह नि0 तुलसीमांझा पट्टी बलराज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को किशुनदासपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रजवन्त सिंह पुत्र शिवहरक सिंह नि0 तुलसीमांझा पट्टी बलराज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–158/2025 धारा 103(2) बीएनएस, 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज।
02. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
03. का0 कमलेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.05.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर के नवनिर्मित प्र0नि0 कक्ष व कम्प्यूटर कक्ष के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का किया गया उद्घाटन–

गोण्डा। जनपद गोंडा में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा थाना मनकापुर स्थित नवनिर्मित प्रभारी निरीक्षक कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन एवं फीता काटकर की गई, जिसके पश्चात महोदय ने नव निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया एवं उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों का सुदृढ़ एवं आधुनिक बुनियादी ढांचा बेहतर कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। इससे न केवल पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर सुविधाजनक वातावरण प्राप्त होता है, बल्कि आमजन से संवाद एवं सेवा प्रदान करने में भी सुविधा होती है। महोदय द्वारा बताया गया कि नव निर्मित प्रभारी निरीक्षक कक्ष को नवीनतम कार्यालय सुविधाओं से युक्त किया गया है, वहीं कंप्यूटर कक्ष को पूर्णतः जीर्णोद्धारित कर वातानुकूलित किया गया है, ताकि डिजिटल पुलिसिंग से जुड़े कार्य जैसे– अपराध रजिस्ट्रेशन, ई–एफआईआर, सीसीटीएनएस प्रविष्टि आदि कुशलता से संपादित किए जा सकें। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मनकापुर श्री मनोज पाठक, थाने के अन्य पुलिस अधिकारी–कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार बन्धु तथा समाजसेवीगण भी उपस्थित रहे। सभी ने नवनिर्मित कक्षों की सराहना की और पुलिस प्रशासन के इस सकारात्मक कदम की प्रशंसा की।

मीडिया सेल, गोण्डा।